कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— स्ट्रे-१८(100)अ.शा./विविधि/2013/8783-8837 दिनांकः— 18-10-2013

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान
मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषयः पुलिस व मीडिया के मध्य संबंधों के क्रम में।
संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक सी.आई.डी/सी.बी./पी.आर.सी/2010/6218-57 दिनांक 19.10.2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अपराध नियंत्रण व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के मीडिया के साथ अच्छे कामकाजी (working) संबंध की भूमिका के परिपेक्ष्य में निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों में आंशिक संशोधन कर उक्त पत्र के बिन्दू संख्या (viii) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है:—

"(viii) पुलिस द्वारा अभियुक्त/पीड़ित का मीडिया के सामने साक्षात्कार नहीं कराया जाए।"

उपरोक्त संशोधित दिशा—निर्देश की पालना हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारीगण को निर्देशित करें।

भवदीय

(हरीश चन्द्र मीना)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान मय जी.आर.पी.।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक– सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2010/6218-57 दिनांक– 19-10-2010

समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण,
राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

विषय :– पुलिस व मीडिया के मध्य संबंधों के क्रम में।

महोदय,

अपराध नियंत्रण व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के मीडिया के साथ अच्छे संबंध बेहतर भूमिका निभा सकते है।

इसके लिए पुलिस को चाहिये कि मीडिया से अच्छे कामकाजी (Working) संबंध रखें ताकि कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में मीडिया की भूमिका का लाभ प्राप्त हो।

इस संबंध में अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं के बारे में निर्देशित करें ताकि पुलिस व मीडिया के मध्य उचित संबंध स्थापित हो सकें।

(i) विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, बरामदगी, इत्यादि के संबंध में मीडिया को ब्रीफ करना चाहिये।

(ii) पुलिस अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ सही तथ्यों के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया जाना चाहिए। ब्रीफिंग निम्न अवसरों पर की जा सकती है:–

(a) अपराध पंजीकरण के समय
(b) अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय
(c) अभियोगों की चार्जशीट/एफआर पेश किये जाने के समय
(d) अभियोगों का निर्णय न्यायालय से होने के समय।

यदि किसी मामले में मीडिया का ध्यान आकर्षित होता है तो उस मामले में प्रत्येक दिन मीडिया ब्रीफिंग के लिए सामान्यतः एक निश्चित समय तय किया जाना चाहिए और नामित अधिकारी द्वारा ही मीडिया को ब्रीफ किया जाना चाहिए।

(iii) घटना के प्राथमिक विवरण के अलावा अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में तफतीश के पहले 48 घण्टो तक मीडिया को सामान्य स्तर की सूचना देना उचित नहीं है।

(iv) अभियोग के अन्वेषण में प्रतिदिन की कार्यवाही/अन्वेषण के बारे में प्रत्येक दिन मीडिया को सूचना देना तफ्तीश को प्रभावित कर सकता है।

(v) अवयस्क/बाल अपचारी एवं बलात्कार की पीड़िता से अनुसंधान करते समय विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मीडिया से उन व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिये।

(vi) हमेशा यह ध्यान रखा जावे कि

(a) मीडिया के सामने गिरफ्तार व्यक्ति की परेड नहीं करानी चाहिए।

(b) जिस अपराधी की पहचान परेड करानी हो, उसका चेहरा मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए।